HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 539/2020

1. Hafiz Rulah Ansari S/o Shri Hazi Jaan Mohammed, Aged About 60 Years, Miraza Mandi Kalpi, Police Station Kalpi, District Jalaun (U.p.).
2. Farhat Ali Khan S/o Shri Faiyaz Ahmed Khan, Aged About 55 Years, House No. 44, Block N Abdul Fazal Enclav-I, Jamia Nagar, Delhi.

----Petitioners

Versus

State, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जीआर पूनिया मय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद।

For Respondent(s) : सुश्री राजलक्ष्मीसिंह लोक अभियोजक।

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDRA MAHESHWARI

Judgment / Order

26/02/2020

न्यायालय द्वारा :

अधीनस्थ न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 35/2015 **पुलिसथाना सदर, नागौर** के क्रम में पारित आदेश दिनांक **5.7.2019,** जिसके तहत याचीगण को मफरूर घोषित कर स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया है, से व्यथित होकर याचीगण–अभियुक्त की ओर से फौजदारी विविध याचिका धारा **482** दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत की गई है।

सुना गया। योग्य अधिवक्ता याचीगण का कथन रहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात याचीगण द्वारा अनुसंधान में भाग लिया जाकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे लेकिन न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी याचीगण को नहीं थी। उनका यह भी कथन रहा कि याचीगण को धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता की संपूर्ण प्रक्रिया अपनाये

बिना ही मफरूर घोषित कर उनके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। अतः याचीगण के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट की क्रियान्विती पर रोक लगाई जावे।

योग्य अधिवक्ता याचीगण ने प्रकट किया कि याचीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर नियमित जमानत आवेदन पेश करने के लिये तैयार है। अतः तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।

योग्य लोक अभियोजक ने नियमानुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

विचार किया गया। उपरोक्तानुसार योग्य अधिवक्ता याचीगण की प्रार्थना अनुसार यह फौजदारी विविध याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि याचीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक **30.3.2020** को या उसके पूर्व मध्याह्न पूर्व **(before lunch)** न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समर्पण करते है और याचीगण द्वारा समर्पण करने के पश्चात नियमित जमानत आवेदन पेश किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय पुलिस रिमाण्ड की आवश्यकता न हो अथवा रिमाण्ड अवधि समाप्त हो चुकी हो, उस स्थिति में इस आदेश से प्रभावित हुए बिना, प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर, जहां तक संभव हो उसी दिन जमानत आवेदन का निस्तारण करे। दिनांक **30.3.2020** तक याचीगण की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। उक्त तिथि तक उपस्थित नहीं होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

तदनुसार, स्थगन याचिका भी निस्तारित की जाती है।

सत्यमेव जयते

(MAHENDRA MAHESHWARI),J

Sn 13-1/-